

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">राजस्व अपील संख्या 65/2015</p> <p style="text-align: center;">मोवनकंवर बनाम भूरसिंह वगैरह</p> <p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p style="text-align: center;">नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
-------------	--	--

19/12/2022

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांत अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अन्तरिम आदेश दिनांक 21.09.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। हस्तगत प्रकरण में हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 07.10.2015 से निरन्तर अंतिम आदेशिका तक अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलांत अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील अन्तरिम आदेश दिनांक 21.09.2015 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.2015 को अंतरिम आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी से संबंधित मूल निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन/लंबित मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत निर्णीत होगा। ऐसी परिस्थितियों में न्यायहित को मद्देनजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किया जाकर प्रकरण को लंबा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय के इस मत पर अपनी सहमति जाहिर की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांत अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों पर बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोजेन्ट संख्या 01 से 04 द्वारा अपीलांत एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 06 से 09 विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांत वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण अपीलांत अपनी खातेदारी आराजी के उपयोग-उपभोग से महरूम हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

रेस्पोजेन्ट अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में समस्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांत खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 01 से 04 द्वारा अपीलांत एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 06 से 09 विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

8
राजस्थान न्यायालय
जयपुर

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">राजस्व अपील संख्या 65/2015</p> <p style="text-align: center;">मोवनकंवर बनाम भूरसिंह वगैरह</p> <p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p style="text-align: center;">नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
-------------	--	--

212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है।

हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील अन्तरिम व्यादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करने के सम्बन्ध में जो प्रावधान दिए गए है, उनमे मुख्य रूप से आदेश 39 नियम 1 से 4 मुख्य है, जहां तक आदेश 39 नियम 3 सीपीसी का प्रश्न है, इस संबध में आदेश 39 नियम 3 सी पी सी का उद्धरण इस प्रकार है—

आदेश 39 नियम 3

3. *Before granting injunction, Court to direct notice to opposite party-*

The Court shall in all cases except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay, before granting an injunction direct notice of the application

for the same to given to be the opposite party

Provided that, where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the court shall record the reasons for its opinion that the object of granting the injunction would be defeated by dealy, and require the applicant-

(A) to deliver to the opposite party, or to send to him by registered post, immediately after the order granting the injunction has been made, a copy of the application for injunction together with-

1. *a copy of the affidavit filed in support of the application.*

2. *a copy of the plaint and*

3. *copies of doucments on which the applicant relies, and*

(b) to file, on the day on which such in such injunction is granted or on the day immediately following that day, and affidavit stating that the copies aforesaid have been so delivered sent.

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">राजस्व अपील संख्या 65/2015</p> <p style="text-align: center;">मोवनकंवर बनाम भूरसिंह वगैरह</p> <p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p style="text-align: center;">नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
-------------	--	--

आदेश 39 नियम 3(क) सी.पी.सी में प्रावधित किया है कि " 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहाँ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय द्वारा 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणों को अभिलेखित करना चाहिए।

उपरोक्त कानून के सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील व्यादेश एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश है। विधि अनुसार जहां एकपक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, ऐसे मामलो को न्यायालय द्वारा 30 दिवस के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणों को अभिलेखित करना चाहिए।

अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील जैर अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है प्रकरण से संबधित मूल आदेश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत निर्णीत होगा। ऐसी परिस्थितियों मे वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रकरण के इस स्तर पर किसी प्रकार का तर्क दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र का लगभग 07 वर्षों से अंतिम निस्तारण नहीं किये जाने से हितबद्ध पक्षकारों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड रहा है एवं प्रार्थना पत्र लंबित होने से पक्षकारों को न्याय प्राप्त होने मे अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। जो कि न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। प्रकरण के संबध मे किसी भी पक्ष की ओर से हाजा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के संबध में माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित किसी भी आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 44/2015 बउनवान गोपसिंह बनाम सरमीबाई आदि मे पारित आदेश दिनांक 21.09.2015 को अपास्त किया जाता है। चूंकि प्रकरण में निहित कानूनी बिन्दुओं की पालना करवाई जानी आवश्यक है, तदनुसार सहायक कलक्टर सायला को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय मे प्रकरण से संबधित विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 44/2015 बउनवान गोपसिंह बनाम सरमीबाई आदि मे पारित आदेश दिनांक 21.09.2015 के अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश

राजस्व मंडल
सायला

तारीख हुक्म	राजस्व अपील संख्या 65/2015 मोवनकंवर बनाम भूरसिह वगैरह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	--	--

39 नियम 3(क) के प्रावधानों की पालना करते हुए उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए 30 दिवस के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

२
राजस्व अपील कार्यवाही
पाली कल्याण-वासीर